।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
2/81	14.12.2021	25.03.2022

01– चाहत पुत्र चॉदमल, उम्र करीब 53 वर्ष, जाति मेव, निवासी ग्राम जटियाना, तहसील व जिला अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– असरू खां पुत्र इस्माईल खां, उम्र करीब 45 साल

02– ईसाक पुत्र इस्माईल खां, उम्र करीब 47 साल

03– कालू खां पुत्र इस्माईल खां, उम्र करीब 54 साल

04– भोण्डा पुत्र मोहब्बत उर्फ मोहम्मद

जाति मेवान, निवासीयान ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर

05– तहसीलदार अलवर बतौर भूमिधारक –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि खाता संख्या 219 नया हाल आराजी खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.19 है०, 1488 रकबा 0.19 है०, 1490 रकबा 0.37 है० कुल किता 3 रकबा 0.75 है० तथा खाता संख्या 223 नया हाल आराजी खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.41 है०, 1183 रकबा 0.20 है०, 1184 रकबा 0.21 है०, 515 रकबा 0.33 है०, 516 रकबा 0.01 है०, 517 रकबा 0.32 है०, 520 रकबा 0.62 है० कुल किता 7 रकबा 2.10 है० वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 का क्रमशः 1/12 – 1/12 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 भोण्डा का 1/2 हिस्सा बतौर

सहायक कलक्टर
अलवर

खातेदार दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

निवाज खां (मृतक)

चाँदमल (मृतक) इस्माईल (मृतक)

चाहत खां असरू इशाक कालू खां

उपरोक्त आराजी को वादपत्र में विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है जिस पर प्रार्थी के दादा स्व० निवाज खां अरसे दराज से शान्ति पूर्ण तरीके से बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बतौर वारिसान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे तथा वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 अपने कानूनी हकूको के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में वे अपने हिस्सो पर बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा है तथा वो भी अपने हिस्से अनुसार खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 लडाकू व मुहजोर शक्स है जिनके मन में बेईमानी आ चुकी है तथा येन केन प्रकारेण वादी के हिस्से की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर, प्लोटिंग इत्यादि कर दीगर शक्सों को रहन बैय हिबे इत्यादि के जर्ये खुर्द बुर्द करना चाहते है। यह कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर 1/4 हिस्सा है। वह अपने हिस्से पर काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अब शामलात में काश्त नही करना चाहता व अपनी आराजी का विभाजन चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 को विभाजन कराने बाबत कहा तो उन्होने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा कहा की ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर देंगे, प्रार्थी को उसकी आराजी को जोतने बोने नही देंगे जबरन कब्जा कर प्रोपर्टी डीलर को विक्रय कर प्लाटिंग कर देंगे । दिनांक 28.11.2021 को अप्रार्थीगण उग्र होकर आराजी पर प्रार्थी को धमका कर जबरन कब्जा करने की चेष्टा की तथा नींव इत्यादि खोदने की तैयारी की आस पडोस

सहायक कलक्टर
अलवर

के गांव के लडके इक्ट्ठा हुए उन्होने अप्रार्थीगण को समझाया कि शामलाती की आराजी है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 का 1/12 – 1/12 हिस्सा है बिना बटवारा कराये आराजी में निर्माण अथवा प्लाटिंग नही कर सकते परन्तु अप्रार्थीगण बाज नही आये। उस समय तो अप्रार्थीगण चले गये धमकी दी पुनः आकर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करेंगे निर्माण कर प्लाटिंग करेंगे। अगर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिया ओर आराजी को विक्रय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी को होगी। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एव नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पूर्णरूपेण साबित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 को, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने, आराजी पर जबरन कब्जा ना करने, प्लाटिंग ना करने तथा जर्ये रहन, बैय, हिबे द्वारा आराजी को खुर्द बुर्द ना करने बाबत पाबन्द करने का न्यायालय को निवेदन किया

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 की ओर से श्री इदरीश खान एडवोकेट ने आदेशिका पर अण्डरटेकिंग दी एवं बिना जवाब पेश किये ही बहस करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 ने न्यायालय को निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 का वादग्रस्त आराजी में 1/12 – 1/12 हिस्सा है जिस पर वो काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी नही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 को, विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.19 है०, 1488 रकबा

सहायक कलक्टर
अलवर

0.19 है०, 1490 रकबा 0.37 है० कुल किता 3 रकबा 0.75 है० तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.41 है०, 1183 रकबा 0.20 है०, 1184 रकबा 0.21 है०, 515 रकबा 0.33 है०, 516 रकबा 0.01 है०, 517 रकबा 0.32 है०, 520 रकबा 0.62 है० कुल किता 7 रकबा 2.10 है० वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर में, प्रार्थी के 1/4 हिस्सा तक कब्जे काश्त में रूकावट, मजाहमत पैदा ना करने, आराजी पर जबरन कब्जा ना करने, प्लाटिंग ना करने तथा जर्ये रहन, बैय, हिबे द्वारा आराजी को खुर्द बुर्द ना करने बाबत ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर संलग्न वाद रहे।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर